रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245324
CG-DL-E-22042023-245324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1722] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945
No. 1722] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1804(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित आयामों के साथ, इसरो के पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम3 लॉन्च वाहनों के रॉकेट चरणों, प्रणोदक टैंकों और अन्य हार्डवेयर के परिवहन के लिए, दो ट्रेलरों के रेजिस्ट्रीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	मद	विवरण	
1.	समायोजन का प्रकार	आर्टिकुलेटेड ट्रेलर (12 टन पेलोड डबल एक्सल वेल बेड ट्रेलर)	
2.	स्वामी	निदेशक, एलपीएससी/इसरो, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), भारत सरकार।	
3.	डबल एक्सल वेल बेड ट्रेलर का निर्माता	मैसर्स वी.एस. ट्रेलर्स, चेन्नई	
4.	समायोजन की संख्या	1	
ट्रैक्टर का विवरण		ट्रैक्टर-1	ट्रैक्टर-2
5.	रेजिस्ट्रीकरण संख्या	केए-03-एके-1480 (भारतबेंज 4023टीटी)	केए-03-एके-1481 (भारतबेंज 4023टीटी)

6.	इंजन संख्या	926956डी0117474	926956डी0117879
7.	चेस्सी संख्या	एमईसी871ईसीएएनपी115863	एमईसी871ईसीएएनपी115801
ट्रेलरों का विवरण (वी.एस. ट्रेलर्स (वेल बेड ट्रेलर))		ट्रेलर-1	ट्रेलर-2
8.	चेस्सी संख्या	वीएसटीडब्ल्यूबी/2/22-23/509	वीएसटीडब्ल्यूबी/2/22-23/510
9.	बिना लदे स्थिति में वाहन का समग्र आयाम (प्राइम मूवर + ट्रेलर)	लंबाई- 20.635 मीटर	लंबाई- 20.635 मीटर
		चौड़ाई- 3.54 मीटर	चौड़ाई- 3.54 मीटर
		ऊंचाई- 1.35 मीटर (पीछे का हिस्सा)	ऊंचाई- 1.35 मीटर (पीछे का हिस्सा)
10.	टायर:- पहली एक्सल दूसरा एक्सल तीसरा एक्सल चौथा एक्सल	 10.00 x आर20 - 2 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर	 10.00 x आर20 - 2 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर 10.00 x आर20 - 4 टायर
11.	भार:- पे लोड वजन:- वाहन का सकल लदा भार:-	 12.00 टन 27.55 टन	
12.	लदी स्थिति में वाहन का समग्र आयाम (प्राइम मूवर + कंटेनर + ट्रेलर)	लं- 20.635 मीटर चौ-5.10 मीटर ऊँ-5.70 मीटर	

2. इसरो की खेपों के परिवहन के लिए, विशेष मामले के रूप में, उपरोक्त छूट की अनुमति इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) संयोजनों का संचालन, संयोजन के ऐसे गमनागमन के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित सड़क प्राधिकरणों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे अनुमोदित और बारीकी से देखा जाएगा।

(ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों/पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों का प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी।

(iii) समायोजन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।

(iv) सड़क की चैड़ाई में टेलरों को जोड़ने की अनुमति नही दी जाएगी।

(v) समायोजन के आवागमन कार्यक्रम की सूचना संबंधित विभागों के अधिकारियों को कम से कम दस दिन पहले दी जानी चाहिए और उनकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

(vi) वाहन का पंजीकरण संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(vii) यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर बने पुलों के ऊपर से ओवर डायमेंशनल वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे में ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके अलावा, यह निर्देश दिया जाता है कि वाहन को आदेश संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएंडआर (बी) दिनांक 24.08.2020 द्वारा जारी पैरा 1 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

(viii) बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्रधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ix) उक्त समायोजन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।

(x) खेपों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के आयाम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसी खेपों के परिवहन के लिए अनुमेय गति सीमा 35 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xi) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु द्वारा वहन की जाएगी।

(xii) समायोजन की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, सड़कों /पुल अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे समायोजनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/ संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(xiv) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, ऐसे प्रतिबंधो का पालन करेंगें जो इस संबंध में राज्य सरकारेां/ संघ शासित प्रदेश /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(xv) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, ऐसे समायोजनों का प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिदिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।

(xvi) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सभी वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट एवं पीयूसी प्राप्त कर लिए गये हैं।

(xvii) रेजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में एक विशेष प्रविष्टि की जाए कि समायोजन के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्रधिकारी अर्थात राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे।

(xviii) केवल तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, द्वारा ही इन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी।

(xix) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, को केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के संबंध में सभी अधिसूचित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(xx) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), अंतरिक्ष विभाग, बेंगलुरु, को सीएमवीआर, 1989 के संदर्भ में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार पूरी तरह से ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन का परीक्षण करना और अर्हता प्राप्त करना चाहिए। एलपीएससी को चाहिए कि वह ट्रैक्टर ट्रेलर ऑपरेशन लदा हुआ/ बिना लदा हुआ, को मानक संचालन के अनुसार प्रशिक्षित मानव शक्ति की सख्त निगरानी में ले जाए और साथ ही खेपों की रणनीतिक आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिवत अनुरक्षण करे ।

(xxi) इसरो के खेपों के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी)/इसरो, बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित सभी इसरो केंद्र तक और इसके विपरीत, सड़क मार्ग से किया जाएगा।

3. ट्रेलर को, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 (47(सी), 47(जी), 47 के उप-नियम 2 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को छोड़कर) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने और बिक्री दस्तावेजों / खरीद आदेश (इनवॉइस, सभी करों के भुगतान का प्रमाण) को प्रस्तुत करने के अधीन ही कर्नाटक राज्य में रेजिस्ट्रीक्रत किया जाएगा।

[सं आरटी-11042/07/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1804(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for registration of two trailers for transportation of rocket stages, propellant tanks and other hardware of PSLV, GSLV and LVM3 launch vehicles of ISRO with dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

Sl. No.	**Item**	**Details**	
1.	Type of combination	Articulated Trailer (12 Ton Payload Double Axle Well Bed Trailer)	
2.	Owned By	Director, LPSC/ISRO, Department of Space (DOS), Government of India.	
3.	Double Axle Well Bed trailer Manufactured By	M/s V. S. Trailers, Chennai	
4.	No. of combinations	One	
Description of Tractors		Tractor-1	Tractor-2
5.	Registration Number	KA-03-AK-1480 (BHARATBENZ 4023TT)	KA-03-AK-1481 (BHARATBENZ 4023TT)
6.	Engine No.	926956D0117474	926956D0117879
7.	Chassis No.	MEC871ECANP115863	MEC871ECANP115801
Description of Trailers **(**V. S. Trailers (Well Bed Trailer)**)**		Trailer-1	Trailer-2
8.	Chassis No.	VSTWB/2/22-23/509	VSTWB/2/22-23/510
9.	Overall Dimension of vehicle in un laden Condition (Prime Mover + Trailer)	L-20.635 meter	L-20.635 meter
		W-3.54 meter	W-3.54 meter
		H-1.35 meter (rear end)	H-1.35 meter (rear end)
10.	Tyre:- First axle Second Axle Third Axle Fourth Axle	 10.00 x R20 – 2 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres	 10.00 x R20 – 2 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres 10.00 x R20 – 4 tyres
11.	Weight:- Pay Load Weight:- Gross laden Weight of the vehicle:-	 12.00 T 27.55 T	

12.	Overall Dimension of vehicle in laden Condition (Prime Mover + Container + Trailer)	L- 20.635 meter W-5.10 meter H-5.70 meter

2. The above relaxation is allowed as special case for transportation of the consignments of ISRO subject to the conditions that:-

i. The operations of the combinations shall be done only after prior approval of such movement of the combination is approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.

ii. Dimensions and weight restrictions on various roads/bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and prior permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads.

iii. The combination should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

iv. Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.

v. The program of the movement of the combination should be intimated at least ten days in advance to the officials in the concerned departments and obtain their clearance.

vi. The vehicle shall be registered as a combination.

vii. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/Government of India, the over dimensional vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains. Further, it is directed the vehicle should comply with Ministry of Road Transport & Highways guidelines as per Para 1 issued vide order No. RW/NH-35072/01/2010-S&R(B) dated 24.08.2020.

viii. They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

ix. The said combinations should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. Keeping in view the dimension and safety of consignments and other road users, the permissible speed limit for transportation of such consignments shall not exceed 35km/hr.

xi. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru.

xii. The combinations shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the combination clearly.

xiii. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads/bridges or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the combinations.

xiv. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

xv. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such combination.

xvi. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movements.

xvii. A specific entry in Registration Certificate is to be made that the combination owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e, State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.

xviii. The permission will be valid for use of these vehicles by Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru only.

xix. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru should ensure compliance with all notified provisions in respect of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

xx. Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Department of Space, Bengaluru should test and qualify the tractor trailer combination completely as per technical requirement with reference to the CMVR, 1989. LPSC should submit that tractor trailer operation laden/un-laden will be carried under strict supervision of the trained manpower according to standard operating procedure as well as duly escorted to ensure the safety, considering strategic movement of consignments.

xxi. The specific route for transportation of ISRO Consignments will be from Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC)/ISRO, Bengaluru to ISRO Centres located in Andhara Pradesh and Tamil Nadu and vice versa by road.

3. The trailers shall be registered in the State of Karnataka only subject to fulfilment of conditions laid down under Rules 47 (except 47(c), 47(g), sub-rule 2 of 47 and other relevant provisions) of the central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents/purchase order (invoice, proof of payment of all taxes).

[No. RT-11042/07/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.22 09:47:38 +05'30'